राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1031/2012/बीकानेर.

मैसर्स मुकेश एजेंसीज, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1484/2012/बीकानेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मुकेश एजेंसीज, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.

श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/08/2018

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 252/आरवेट/बीकानेर/2011–12 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील संख्या 1031/2012 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि किये जाने के विरूद्ध तथा अपील संख्या 1484/2012 अपीलार्थी विभाग द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी है।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स वान मेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड से चॉकलेट की खरीद की गई थी, जिस पर व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत से कर वसुल किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस माल को कन्फैक्शनरी मानते हुए एवं इसके ब्रांडेड होने से सामान्य दर से करारोपण किया गया क्योंकि ब्रांडेड कन्फैक्शनरी कर अनुसुची–IV की किसी प्रविष्टि में

लगातार.....2

सम्मिलित की हुई नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 12.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में सुनवाई की गई। इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत किया गया माल प्रिंसिपल व्यवहारी मैसर्स वान मेले से खरीदा हुआ था एवं प्रिंसीपल वान मेले के प्रकरण में विवाद होने पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स परफैटी वान मेले के प्रकरण संख्या 473/2011 निर्णय दिनांक 17.02.2017** में निर्णय किया जा चुका है कि प्रिंसिपल वान मेले द्वारा विक्रय किया गया माल ब्रांडेड कंफैक्शनरी होने से वह अनुसुची—IV की किसी प्रविष्टी में कर देने की पात्रता नहीं रखता, अतः अनुसुची—V के अनुसार 14 प्रतिशत से कर योग्य है। चूंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से पूर्णतया कवर्ड है, अतः आरोपित अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अन्य किसी विवेचना के अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज की जाती है।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक के इस कथन को स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी व्यापारी द्वारा चूंकि राज्य के भीतर कर चुकाकर माल की खरीद की गई है अतः 14 प्रतिशत चुकाये गये कर की आई.टी.सी का लाभ दिया जावे। इस संबंध में माननीय कर बोर्ड के **मैसर्स राकेश जनरल स्टोर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत—बी, अलवर अपील संख्या 1018/2012/अलवर में निर्णय दिनांक 18.9.2017** के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 18 की शर्तों की पूर्ति की जाती है तथा आवश्यक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधिक प्रावधान के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

6. जहां तक अपीलार्थी राजस्व द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स परफैटी वान मेले** के उपरोक्त प्रकरण में एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू (26 टैक्स अपडेट 01)** के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि यदि व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार अपनी लेखा—पुस्तकों में इंद्राजित किये गये हैं तथा विवरण—पत्रों में प्रदर्शित किये गये हैं तो वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अविधिक है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है फलतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती है।

लगातार.....3

7. उक्तानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा व्यवहारी व विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य